न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 33/2012 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. दीनदयाल दत्तक पुत्र केवलराम
2. श्रीमती रामदेई वेवा शिवचरन
3. चन्द्रशेखर
4. दुर्गाप्रसाद } पिसरान स्व0 शिवचरन
5. सियाराम

जाति ब्राहम्ण निवासी नयाबास बृहमवाद तह0 बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. भीमो पुत्र मूसरिया जाति गुर्जर निवासी बृहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. भोलाराम पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी झारैडा रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली।

.....असल रेस्पोंडेंट।

3. हरिओम प्रकाश (मृतक)
   3/1. श्रीमती रामदुलारी वेवा हरिओमप्रकाश
   3/2. घनश्याम शर्मा } पिस0 हरिओमप्रकाश
   3/3. श्रीकृष्ण शर्मा }
   3/4. कृष्णा शर्मा } पुत्रीयान हरिओमप्रकाश
   3/5. नीता शर्मा }

   जाति ब्राह0 नि0 हाल बी–6/372,चित्रकूट नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
4. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 शिवचरन पत्नी हुक्म चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी 45/305 मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।
5. श्रीमती विधा देवी पुत्री स्व0 शिवचरन पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कॉमा हाल मनोहर थाना झालावाड।
6. श्रीमती मायादेवी पुत्री स्व0 शिवचरन पत्नी पुरूषोत्तम जाति ब्राहम्ण निवासी वमनपुरा मौहल्ला कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व0 शिवचरन पत्नी डॉ0 ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना दिनांक 26.04.2012 उनवानी दीनदयाल बनाम भीमो मु0न. 30/2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– श्री मोहन सिंह राणा वकील अपीलाण्ट।
श्री भीम सिंह गुर्जर अधिवक्ता रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 08.12.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 26.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध रैस्पो0/अप्रार्थीगण, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नयावास (बृहमवाद) में स्थित है। जिसके अपीलाण्ट/प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट/प्रार्थीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज श्री रघुनन्दन लाल से प्राप्त हुई है। रघुनन्दन लाल, लाबल्द बिला औरत फौत हुए थे, इस कारण रघुनन्दन लाल की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी का नामान्तकरण ग्राम पंचायत सिंघाडा द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थीगण एवं शोभनार्थ प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया था। किन्तु रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 02 भोलाराम ने उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपीलाण्ट /प्रार्थीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण की जानकारी में लाये बिना, अपने नाम दर्ज व तस्दीक करा लिया। जबकि रैस्पो0/अप्रार्थी संख्या 02 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार, कभी नहीं रहा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रैस्पो0/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा दिनांक 21.11.2017 को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश, निगरानी टी0ए0 संख्या 4332/2012 दिनांक 10.02.2014 की प्रति प्रस्तुत करते हुए एवं उक्त आदेश के क्रम में अण्डरटेकिंग दिनांक 30.11.2017 का हवाला देते हुए, नामान्तकरण तस्दीक करने की अनुमति चाही।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के तर्कों का खण्डन करते हुए, तर्क प्रस्तुत किये कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2014 के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 2154/2014 प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.04.2016 से मूल दावे के निर्णय तक विवादित आराजी की यथास्थिति रखें जाने के आदेश पारित किये हैं। जिसकी रैस्पो0 को बखूबी जानकारी है। रैस्पो0 द्वारा उक्त तथ्य को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2016 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुए, नामान्तकरण दर्ज करने बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.04.2016 के प्रभावी रहते, हस्तगत अपील की सार्थकता समाप्त हो जाती है। अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की सार्थकता बाबत् प्रश्न पर, उभयपक्ष के योग्य अभिभाषक, अपील को प्रभावहीन खारिज करने में सहमत हुए। लिहाजा हम अपील प्रभावहीन खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official